



पत्र सं०- 3896

/वा0नि0-5 /2018

दिनांक- 27/3/2018

सेवा में,

अध्यक्ष,

सरदार पटेल शिक्षण समिति

14, सरदार पटेल मार्ग,

कैण्ट, लखनऊ।

विषय: अकृषक से शैक्षणिक भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक: 24 मार्च 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रमाणित किया जाता है कि वाद सं० - 291/05 06, सरदार पटेल शिक्षण समिति बनाम उ०प्र० सरकार अन्तर्गत धारा-143 उ० प्र० जेड० ए० एल० आर० एक्ट ग्राम-उतरठिया, परगना-बिजनौर तहसील- सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ खसरा संख्या 558 रकबा 0.6830 हे० के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 22.08.2005 की पुष्टि के उपरान्त कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित है। उपरोक्त भूमि खसरा संख्या का भू-उपयोग परिवर्तित है और उपरोक्त भूमि का भू-उपयोग इस कार्यालय के अभिलेखों में शैक्षणिक दर्ज है तथा शैक्षणिक उपयोग हेतु भवन आदि निर्माण करने की अनुमति प्रदान है।



*[Signature]*  
27/3/2018